

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

--कार्यालय द्वाप--

अतिरिक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित 107 संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सञ्चालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/वाहतकन/प्रवेश क्षमता वृद्धि/उत्ती हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-4 में द्वितीय चरण में डिप्लोमा हेतु वाहतकन सञ्चालित करने वाली द्विती स्तरीय संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सचिव विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

- सलग्नक-3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित द्विती स्तरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय चाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सञ्चालन हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय चाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सञ्चालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

उक्त निम्नानुसार सञ्चालित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी समस्तियां तथा सम्बद्धता समिति द्वारा विचार एवं निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विन्मांकित कर्ता के अर्थात् वाहतकन एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं. संस्था संके.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/सीआर0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	उत्तरप्रदेश-काशीका इन्फो टेक टैलेंटाके. लव 40-8 100-1 एड 2 वेस्ट-8 शिक्षा संस्थान-273209	सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग	00	00
		सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एन 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं संशोधन का अनुपालन करनी तथा मुख्य निरीक्षण समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क, सीमा सीमा हेतु वार्षिक प्रवेश शुल्क 5000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु 5000/- प्रतिवर्ष एवं एक साल की कार्यवाही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु 5000/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक धारा/घात्र में प्रवेश किया जाएगा। संस्थाओं के अतिरिक्त प्रवेश/घात्रों में शुल्क के अतिरिक्त में लव-समय पर प्रवेश द्वारा निर्मित किए जाने वाले वाहतकन प्रकल्पों को, और अनुमोदन कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। और निर्दिष्ट समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया जाता है तो बीच की नवीनता 12 वर्षों होगी।
- ✓ संस्था को वाहतकन प्राविधिक शिक्षा परिषदों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं का सम्बद्धता विचार-विमर्श 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


प्रधानाचार्य
 सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद
 3000 लखनऊ

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघनत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4482-K I P M COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PLOT NO B L -1 & 2, SECTOR -9, GIDA, GORAKHPUR

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (लीन एपीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22600.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही चल्नेवाला छात्र/छात्रा से प्रदाय किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्कों के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रगट होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीकरण दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 3000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन सपत्ता होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आनामती सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनारस नये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बतये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं, यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में


प्रधानाचार्य
एनआईटीएचके, उत्तर प्रदेश
आर्य समाज विद्यापीठ, लखनऊ
पी.टी. रोड, लखनऊ

समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात हाथ में लिखा जाता है तथा दाखल बात के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ हिफ्तोसा इन फार्मरी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत जमीनगत आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघनित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अखिल, भूमि-भवन, पानी/घर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीओआईए/पीओआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, K I P M COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PLOT NO B L -1 & 2, SECTOR -9, GIDA, GORAKHPUR



(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव



प्रधानाचार्य
के.आई.पी.एम. कॉलेज
ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
सी.टी. गीदा